भारत में हिन्दी की स्थिति

जे.कृष्णवेणी,
शोधविद्यार्थी,
आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय,
गुंटूर ।

श्री जी.श्रीकृष्ण,
विभागाधिपति, हिन्दी विभाग,
आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय,
गुंटूर ।

भारत की राजभाषा हिन्दी है । कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा होने से पहले जनभाषा होती है । हिन्दी भारत की राजभाषा है । इस दृष्टि से वह राष्ट् भाषा है । भाषा किसी भी राष्ट्र की अभिव्यक्ति है । अतः हिन्दी भारत की अभिव्यक्ति है । हिन्दी इस महान देश की अधिकांश जन की दैनंदिन की भाषा है ।''राजर्षि पुरूषोत्तमदास टंडन के शब्दों में यह संयोजक भाषा है । भारत के प्रायः सारे निवासी इसे समझ सकते हैं ।'' ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार श्री विष्णु सखाराम खांडेकर के शब्दों में ''राष्ट्रभाषा का उसी देश की मिट्टी से निर्माण होना चाहिए । इसी वजह से हिन्दी को हमने राष्ट्रभाषा के नाम से सम्मानित किया । कई भारतीय भाषाएँ साहित्य की दृष्टि से संपन्न होते हुए भी यह दर्जा प्राप्त नही कर सकी ।

हिन्दी हमारे देश की संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा है, किन्तु इसे हिन्दी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारत की आजादी के 60 वर्ष बीतने के पश्चात् भी हमें शासन में अपनी भाषा के प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकी है । हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा हिन्दी की जैसे ही राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया वैसे ही यह भाषा विवादों के घेरे में घिरती चली गई । कुछ प्रदेशों में तो हिन्दी विरोधी स्वर मुखरित होने लगे, तो कहीं से अंग्रेजी को राजभाषा बनाने की मांग उठने लगी, तो कहीं से तमिल को । आज यह स्थिति बनी हुई हैं कि वर्ष में एक दिन ''हिन्दी दिवस'' के नाम पर लोग ''हिन्दी सप्ताह'', हिन्दी पखवाडा'' या हिन्दी माह के रूप में कुछ कार्यक्रम पूरी करके पुनः अंग्रेजी के मोहपक्ष में आबद्व हो जाते हैं ।

हिन्दी को राजभाषा बनाने के विरोधी स्वर तमिलनाडु और बंगाल के लोगों से उठे । अनेक विरोधों के पश्चात् भी 14 सितंबर, 1950 को हिन्दी को भारत की राजभाषा और देवनागरी को उसकी लिपि स्वीकार किया गया । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 (1) जिसमें हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया था, उसी में अंग्रेजों को भी सीमित समय के लिए राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई । हिन्दी के विरोध को देखते हुए तब के भारत के प्रधानमंत्री श्री जवहर लाल नेहरू ने हिन्दी विरोधियों को यह आश्वासन दिया कि वे जब तक चाहेंगे तब तक अंग्रेजी को ही राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा । तथा हिन्दी को किसी पर थोपा नहीं जाएगा । इस कथन का दुष्परिणाम यह हुआ कि जिस हिन्दी को राजभाषा के रूप में सम्मान प्राप्त होना था उसे विस्थापित कर दिया गया और जिस अंग्रेजी को दूर हटाना था वह पहले से भी अधिक शक्ति संपन्न होकर सिंहासनारूढ हो गई ।

हिन्दी की इस प्रकार की लाचार स्थिति और उसकी अवहेलना को देखकर विरोधी पुनः आंदोलन शुरू किये । बाजारो से हिन्दी में लिखे बोर्डों को निकाल दिये । और इसी समय तमलिनाडु प्रसिद्ध हिंन्दी विभाग भी बंद कर दिया गया । इस प्रकार विरोधियों के कारण हिन्दी शासन में भी उपेक्षित सी होने लगी । और अंग्रेजी का वर्चस्व बढता ही चला गया । फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हमारा राष्ट्र आज तक अपनी भाषा में राजकाज नहीं चला पा रहा है । हमारा भारत इतना बडा देश होने पर भी आज हमारी अपनी कोई सर्वमान्य राष्ट्रभाषा नहीं हैं । हमारे यहॉ के प्रतिनिध विदेशी और गुलामी की भाषा बोलने में अधिक गर्व का अनुभव करते हैं । विदेशी सम्मेलनों, स्वागत–समारोंहों, विचार–गोष्ठियों, साक्षात्कारों और अय समारोहों में अपनी भाषा के स्थान पर विदेशी भाषा में बोलते या लिखित भाषण पढते हैं । क्योंकि अपनी भाषा में बोलने से उनका सम्मान कम हो जायेगा या लोग उन्हें कम पढा–लिखा समझेंगे । इसी कारण हमारे देश के नेतागण अंग्रेजी को विशेष प्राथमिकता के आधार पर सीखकर उसके टूटे–फूटे और अशुद्ध शब्दों का भी प्रयोग अपनी भाषा में करके अपने अपरिक्व बुद्धिचातुर्य का परिचय देते हैं ।

लंबी अवधि तक विदेशियों के गुलाम रहने के कारण अभी भी हम उन्हीं की भाषा का प्रयोग कर रहे है, और हमारे मन में कहीं न कहीं अंग्रेजी के प्रति विशेष लगाव हैं, इसी कारण हम आज भी अपनी भाषा का इस प्रकार उपेक्षा और उसका तिरस्कार सहन करते आ रहे हैं । कहने का तात्पर्य यह नहीं हैं कि हम किसी दूसरी भाषा का विरोध कर रहे हैं, भाषीय ज्ञान तो चाहे वह किसी भी भाषी का हो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन हमारे देश के प्रशासनिक, शैक्षणिक और न्यायिक क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा को जो स्थान प्राप्त है, उसे रोकना आवश्यक है तभी हम हिन्दी के विकास के बारे में सोच सकते हैं ।

सबसे बडी बात हमारी अपनी सोच और समझ की है, जब तक हम अपने अंतर्मन से हिन्दी को आत्मसाात करने की नहीं सोचते और उस पर अमल नहीं करते तब तक सरकार प्रयास भी व्यर्थ ही साबित होते रहेंगे ।हिन्दी को कमजोर और उपेक्षित सा बनाने में किसी विदेशी का हाथ नहीं रहा बल्कि इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम और हमारे राष्ट्रनायक इस बात को समझे और हिन्दी के प्रचार–प्रसार पर बल दें, तो निश्चित रूप से हमारी अपनी भाषा राजभाषा का वास्तविक स्वरूप प्राप्त करने में सफल रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है । भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और भूमंडलीकरण की भीड चेहरे में अपनी अक्षुण्ण पहचान को बनाए रखने के लिए हिन्दी को अपने सद्प्रयासों से राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाना ही होगा, जिसकी कि वह हर दृष्टि से अधिकारिणी है । यह सदप्रयास भारत के प्रत्येक नागरिक को सदेच्छा से अपने–अपने सद्स्तर से करना अब आवश्यक हो गया है ।

आज न केवल भारतीय बल्कि विदेशी विद्वान भी हिन्दी के प्रति लालायित होकर हिन्दी सीखने का गर्व का अनुभव कर रहे हैं । इसका साक्षात्कार इसी साल जनवरी में विशाखपट्टणम में आयोजित चतुर्थ अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन में यह आभास करा दिया कि हिन्दी अब अंग्रेजी से किसी भी रूप में कम नहीं हैं । हिन्दी भाषा के प्रेमी आज अमेरिका, आफ्रिका, मारीशस, गुयाना, सूरीनामा, ट्रिनीडाड, फीजी आदि देशों में हैं जो कि हिन्दी को अपनाकर अपने आप में गर्व अनुभाव कर रहे है ।

...000.....